<u>विवाह पुर्नस्थापना वाद संख्या–67 / 2017</u>

मो0 सदरे आलम.......................................आवेदक

बनाम्

रोकतार खातुन..विपक्षी

<u>08.02.2023</u> उभय अनुपस्थित है। पत्रावली पुकार करायी गई। बार–बार पुकार पर आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 26.04.2022 से हाजिर नहीं आ रहे है। पत्रावली आवेदक के साक्ष्य हेतु चला आ रहा है। आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 07.12.2022 को अंतिम अवसर भी दिया गया है। आवेदक के आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें इस मुकदमें में कोई रूचि नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यह वाद अदम हाजरी में खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः यह वाद बिना गुण–दोष पर विचार किए अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

लेखापित

प्रधान न्यायाधीश

परिवार न्यायालय